न्यायालयः–चेतना ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ०ग०)

//रिमाण्ड–आदेश//

क्रमांक/...../क्यू/मु.न्या.मजि./2026 महासमुन्द, दिनाँकः–02/01/2026

मैं **चेतना ठाकुर**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–13(2)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **रिमाण्ड आदेश** जारी करती हूँ कि **माह जनवरी–2026** के अवकाश दिवसों में जिला–न्यायालय/मुख्यालय, महासमुन्द में निम्न विवरणानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द **सायं 03.00 बजे से 05.00 बजे** तक न्यायालय में अपने न्यायालयीन कर्मचारी के साथ उपस्थित होकर रिमाण्ड व अति–आवश्यक कार्य आदि संपादित करेंगे।

दिनाँक	रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
माह जनवरी–2026	
04/01/2026	सुश्री तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द
10/01/2026	सुश्री तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द
11/01/2026	सुश्री गीतांजली कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द
17/01/2026	सुश्री खुशबू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द
18/01/2026	सुश्री गीतांजली कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द
25/01/2026	श्री अरूण नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द
26/01/2026	सुश्री खुशबू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द

जिला न्यायालय महासमुन्द के अन्तर्गत तहसील न्यायालय सरायपाली में प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिवसों में **श्री वैभव धृतलहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली** एवं दूसरे 15 दिवसों के **श्री विनय साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली** अवकाश अवधि में अपने न्यायालयीन कर्मचारी के साथ उपस्थित होकर रिमाण्ड व अति–आवश्यक कार्य आदि संपादित करेंगे।

नोटः–

(1) जिस **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** की रिमाण्ड ड्यूटी अवकाश दिवस को रिमाण्ड हेतु निर्धारित की गई है, यदि वे किसी कारणवश उक्त ड्यूटी निष्पादित करने में असमर्थ रहते हैं तो किसी अन्य **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** से **रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करने हेतु सहमति प्राप्त कर उसकी सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय** तथा **इस न्यायालय** को देंगे।

(2) उपरोक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश घोषित होने अथवा सद्भाविक त्रुटिवश किसी अवकाश का उल्लेख उक्त रिमाण्ड आदेश में होना रह जाने पर माह **जनवरी–2026** में **सुश्री तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द** अवकाश तिथि को अत्यावश्यक कार्य, रिमाण्ड आदि संपादित करेंगे।

(3) जिला मुख्यालय के अंतर्गत **तहसील बागबाहरा, पिथौरा, बसना** एवं **सरायपाली** में पदस्थ **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने–अपने स्टॉफ के साथ उपरोक्तानुसार समय एवं प्रत्येक कार्यदिवसों में न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।**

(चेतना ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला महासमुन्द छ०ग०

प्रतिलिपिः–

(1) **श्री अरूण नोरगे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(2) **सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(3) **सुश्री खुशबू जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) **सुश्री गीतांजली कश्यप,** न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द को सूचनार्थ प्रेषित।
(5) कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(6) प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को माननीय सत्र न्यायाधीश महासमुन्द के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संप्रेषित।
(7) प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द को सूचनार्थ संप्रेषित।
(8) जिला अभियोजन अधिकारी महासमुन्द को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अवकाश कालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।
(9) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, महासमुन्द को सूचनार्थ।
(10) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द को सूचनार्थ।
(11) जेल अधीक्षक, जिला जेल, महासमुन्द को सूचनार्थ।
(12) **श्री अविनाश टोप्पो,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(13) **श्री सौरभ बारा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(14) **श्री मंजीत जांगड़े,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(15) **श्री वैभव धृतलहरे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(16) **श्री विनय कुमार साहू,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(17) पुलिस अधीक्षक महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(18) समस्त थाना प्रभारी महासमुन्द, जिला–महासमुन्द **(सिटी कोतवाली महासमुन्द, तुमगांव, सिरपुर चौकी, थाना पटेवा, बागबाहरा, टुहलू चौकी, खल्लारी, कोमाखान, थाना–पिथौरा, तेन्दूकोना, सांकरा, चौकी बुंदेली, थाना–बसना, भंवरपुर चौकी एवं थाना–सरायपाली, थाना सिंघौड़ा, बलौदा चौकी)** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(19) **जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी वृत्त महासमुन्द, जिला–महासमुन्द जिला–महासमुन्द** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(20) **LADC महासमुन्द,** जिला–महासमुन्द को सूचनार्थ।
(21) **कम्प्यूटर शाखा–महासमुन्द,** जिला–महासमुन्द को सूचनार्थ।

(चेतना ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला महासमुन्द छ०ग०